फर्द अहकाम

सामी बनाम सीताराम

...न्यायालय SDO II सांगानेर

...संख्या 39/2022

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	8/11/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/11/24 को पेश हो।	
	22/11/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/12/24 को पेश हो।	
	20/12/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/1/25 को पेश हो।	
	17/1/25	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/1/25 को पेश हो।	
	24/1/25	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 29/1/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	29/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर) जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या : 39 / 2022
निर्णय दिनांक : 29.01.2025

सावित्री देवी पुत्री सीताराम पत्नी राधेश्याम शर्मा, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम रामपुरा उर्फ कंवरपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर हाल निवासी सूरजमल की ढाणी, कपूरावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थीया

बनाम

1. सीताराम पुत्र स्व0 लादु, जाति बागडा ब्राहम्ण (मृतक दौराने वाद)
2. श्रीमति छोटा देवी पत्नी प्रहलाद शर्मा, जाति ब्राहम्ण
3. श्रीमति प्रेम देवी पत्नी कैलाश शर्मा, जाति बागडा ब्राहम्ण
4. श्रीमति श्रवणी देवी पत्नी रामावतार शर्मा, जाति बागडा ब्राहम्ण
5. श्रीमति मंजू देवी पत्नी रविशंकर शर्मा, जाति बागडा ब्राहम्ण
6. प्रहलाद पुत्र सीताराम, जाति बागडा ब्राहम्ण
7. कैलाश पुत्र सीताराम, जाति बागडा ब्राहम्ण
8. रामावतार पुत्र सीताराम, जाति बागडा ब्राहम्ण
9. रवि शंकर पुत्र सीताराम, जाति बागडा ब्राहम्ण
   समस्त निवासीगण ग्राम रामपुरा उर्फ कंवरपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
10. उर्मिला पत्नी ओमप्रकाश, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी प्लाट नम्बर ग–45, भवानी नगर, मुरलीपुरा, जयपुर।
11. विमला देवी पत्नी लालचन्द, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम जयपुरा, पोस्ट जगतपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
12. कमला देवी पत्नी स्व0 हनुमान प्रसाद, जाति बागडा ब्राहम्ण
13. अनिल शर्मा पुत्र स्व0 हनुमान प्रसाद, जाति बागडा ब्राहम्ण
14. लोकेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 हनुमान प्रसाद, जाति बागडा ब्राहम्ण
15. ममता शर्मा पुत्री स्व0 हनुमान प्रसाद, जाति बागडा ब्राहम्ण
16. दिनेश चन्द्र पुत्र रामेश्वर, जाति बागडा ब्राहम्ण
17. नारायणलाल पुत्र रामेश्वर, जाति बागडा ब्राहम्ण
18. परसराम (पुरूषराम) पुत्र लादू, जाति बागडा ब्राहम्ण
    समस्त निवासीगण ग्राम रामपुरा उर्फ कंवरपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, पता– तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर।
20. उप पंजीयक सांगानेर प्रथम, पता– नगर निगम रोड, सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रामपुरा उर्फ कंवरपुरा, पटवार क्षेत्र बीलवाकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 160 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 199 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 331 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 350 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 351 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, कुल किता 05 खसरा नम्बरान का कुल रकबा 1.1100 हैक्टेयर स्थित है, उक्त कृषि भूमि सम्पूर्ण की खातेदारी अप्रार्थी संख्या एक के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित रही है। ग्राम रामपुरा उर्फ कंवरपुरा, पटवार क्षेत्र बीलवाकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 113 रकबा 1.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 158 रकबा 0.5600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 177 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 181 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 200 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 201 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 296/690 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 297/691 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 421 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, कुल किता 10 खसरा नम्बरान का कुल रकबा 2.4400 हैक्टेयर स्थित है, जिसमें हिस्सा 1/3 भाग की खातेदारी अप्रार्थी संख्या एक के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित रही है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या दो व तीन में वर्णित कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या एक के नाम से दर्ज हिस्से की कृषि भूमि को इस प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त सम्पति शब्द से सम्बोधित किया गया है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या दो में वर्णित हाल खसरा नम्बर 160 के गत खसरा नम्बर 121 व हाल खसरा नम्बर 199 के गत खसरा नम्बर 165 व हाल खसरा नम्बर 331 के गत खसरा नम्बर 274 व हाल खसरा नम्बर 350 के गत खसरा नम्बर 269 व हाल खसरा नम्बर 351 के गत खसरा नम्बर 271 है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या तीन में वर्णित हाल खसरा नम्बर 113 के गत खसरा नम्बर 98 व हाल खसरा नम्बर 158 के गत खसरा नम्बर 119 व हाल खसरा नम्बर 177 के गत खसरा नम्बर 144 व हाल खसरा नम्बर 181 के गत खसरा नम्बर 145 व हाल खसरा नम्बर 200 व हाल खसरा नम्बर 201 के गत खसरा नम्बर 164 व हाल खसरा नम्बर 24 के गत खसरा नम्बर 21 व हाल खसरा नम्बर 296/690 व हाल खसरा नम्बर 297/691 के गत खसरा नम्बर 236 व हाल खसरा नम्बर 421 के गत खसरा नम्बर 316 है, दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही सम्वत् 2050 (आधार वर्ष) में उक्त गत खसरा नम्बरान से हाल खसरा नम्बरान निर्मित हुए है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण संख्या एक लगायत ग्यारह एक ही परिवार के सदस्य है तथा प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या छः लगायत ग्यारह का पिता अप्रार्थी संख्या एक है तथा अप्रार्थीगण संख्या दो लगायत पांच का ससुर अप्रार्थी संख्या एक है तथा अप्रार्थी संख्या एक के पिता का नाम लादु पुत्र बीजा था। प्रार्थीया के दादाजी एवं अप्रार्थी संख्या एक के पिता लादु पुत्र बीजा जाति बागडा ब्राहम्ण का सजरा खानदान प्रार्थना पत्र की मद संख्या आठ में दर्शाया है। वादग्रस्त सम्पति प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण संख्या एक लगायत ग्यारह की पैतृक एवं पुश्तैनी एवं सहदायिकी सम्पति है, वादग्रस्त सम्पति अप्रार्थी संख्या एक की स्वअर्जित एवं क्रयशुदा सम्पति नही है तथा उक्त वादग्रस्त सम्पति अप्रार्थी संख्या एक को जरिये विरासत अपने पिता श्री लादु पुत्र बीजा की मृत्यु के उपरांत प्राप्त हुई है भू–प्रबन्ध

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

विभाग द्वारा सम्वत् 2023–26 में निर्मित खतौनी बन्दोबस्त में उक्त वादग्रस्त सम्पति में दर्ज हिस्सानुसार भूमि की खातेदारी लादु पुत्र बीजा के नाम से दर्ज है, कालान्तर में उक्त लादु का स्वर्गवास होने के पश्चात् उक्त भूमि जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या 29 दिनांक 14.06.1977 द्वारा वादगस्त सम्पति व अन्य सम्पति अप्रार्थी संख्या एक एवं उसके भ्रातागण रामेश्वर व पुरूषराम को बतौर विरासत प्राप्त हुई है तथा इसके पश्चात् भाई बंटवारा में प्रार्थना पत्र की मद संख्या एक में वर्णित सम्पति अप्रार्थी संख्या एक के अकेले के नाम दर्ज हुई तथा प्रार्थना पत्र की मद संख्या दो में वर्णित सम्पति निहित हक व हिस्से के अनुसार अप्रार्थी संख्या एक के नाम दर्ज हुई है, जबकि उक्त वादग्रस्त सम्पति में प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या एक एवं प्रार्थीया के चार भ्रातागण एवं दो बहिनों का बराबर–बराबर का हिस्सा निहित है, वादग्रस्त सम्पति में अप्रार्थी संख्या एक के नमा दर्ज रही भूमि में अविभाजित हिस्सा 1/8 भाग प्रार्थीया में निहित है तथा वादग्रस्त सम्पति में अपने हक व हिस्सेनुसार भाग पर मौके अनुसार प्रार्थीया काबिज काश्त है। उक्त वादग्रस्त सम्पति के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अकेले अप्रार्थी संख्या एक का ही नाम दर्ज होने का नाजायज रूप से फायदा उठा कर अप्रार्थीगण संख्या दो लगायत पांच ने अपने–अपने पतियों (अप्रार्थीगण संख्या छः लगायत नौ) के साथ मिलकर अप्रार्थी संख्या एक, जिसकी आयु लगभग 85 वर्ष हो चुकी है तथा जो काफी वृद्ध एवं बीमार व्यक्ति है तथा बीमारी के कारण जिसकी सोचने–समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है तथा लगभग अनपढ़ एवं ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है, को बहला–फुसला कर अप्रार्थी संख्या सात के कार्यालय में ले गये तथा पैत्रिक एवं पुश्तैनी समस्त वादग्रस्त सम्पति एवं अन्य खसरा नम्बर 193, 349, 629, 441, 69 (समस्त किस्म गैर मु. चाह) के बाबत पहले से सोची समझी साजिश के तहत मिलीभगत कर तैयार किये गये फर्जी, नुमाईशी एवं बनावटी उपहार पत्र दिनांकीत 07.12.2021 का निष्पादन बिना कोई प्रतिफल अंकित व दर्शित कर एवं कब्जा दिखाते हुए अपने हक में करवा लिया ताकि प्रार्थीया एवं उसकी दोनों बहिनों को उनके जायज हक व हिस्से की सम्पति से बेदखल कर सम्पति को हडप अकेले ही सके और प्रार्थीया एवं उसकी दोनों बहिनों को उनका वाजिब हक नही मिल सके, अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा निष्पादित पांच अवैध, फर्जी, नुमाईशी उपहार पत्र दिनांकीत 07.12.2021 को अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थीया द्वारा सक्षम सिविल न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थीया वादग्रस्त सम्पति में अपने निहित हिस्सा 1/8 भाग पर काबिज काश्त चली आ रही है तथा अप्रार्थी संख्या एक का द्वारा निष्पादित उपहार पत्र प्रारम्भ से ही पूर्णतया अवैध एवं शून्य है तथा किसी भी प्रकार से वैध उपहार की परिभाषा का पूर्ण नही करता है, अप्रार्थी संख्या एक को वादग्रस्त सम्पति समस्त में अपने निहित हक व हिस्से 1/8 भाग से अधिक भूमि का उपहार पत्र निष्पादित करने का एवं मौके अनुसार कब्जा सम्भलाने का कोई विधिक अधिकारी नही है, उक्त उपहार पत्र का निष्पादित करने का एकमात्र उद्देश्य प्रार्थीया एवं उसकी बहिनों को उनके जायज हक से वंचित कर देना है, हिन्दू विधि के अनुसार पैत्रिक, पुश्तैनी एवं सहदायिकी सम्पति में प्रार्थीया का हित जन्म से ही निहित है, उक्त उपहार पत्र का निष्पादन का आशय केवल वादग्रस्त सम्पति को हडप कर प्रार्थीया को उसके जायज हक, हकूकों की सम्पति से महरूम करने एवं वादग्रस्त सम्पति से बेदखल करने का है,

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

जो प्रथम दृष्टया ही शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने योग्य है। वादग्रस्त सम्पति बाबत हुए फर्जी, नुमाईशी उपहार पत्र के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या दो लगायत पांच के विरूद्ध आवश्यक फौजदारी कार्यवाही करने का अपना अधिकार प्रार्थीया सुरक्षित रखती है। प्रार्थीया वादग्रस्त सम्पति मे अपने निहित हक व हिस्सा 1/8 पर काबिज काश्त चली आ रही है तथा प्रार्थीया द्वारा कई मर्तबा अपने हक व हिस्से की भूमि को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम लगवाने के लिए अप्रार्थी संख्या एक को निवेदन किया जा चुका है किन्तु राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीया का नाम अंकित करवाने की कार्यवाही के बाबत अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा आज तक प्रार्थीया को झूंठा आश्वासन ही दिया गया है, इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या एक ने कोई कार्यवाही आज तक नही की है। अप्रार्थीगण संख्या दो लगायत पांच ने उक्त वादग्रस्त सम्पति के बाबत अपने हक मे निष्पादित उक्त फर्जी एवं नुमाईशी उपहार पत्र का नाजायज फायदा उठाकर राजस्व अधिकारी से मिलीभगत करते हुए वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड में खुलवा कर अपना नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवा लिया है तथा अब अप्रार्थीगण संख्या दो लगायत पांच वादग्रस्त सम्पति को दीगर व्यक्तियों को विक्रय हेतु मौके पर दिखा रही है तथा प्रार्थीया को उसके कब्जे काश्त, अधिकारी की भूमि से बेदखल करना चाहती है। वादग्रस्त कृषि भूमि जो प्रार्थना पत्र के मद नम्बर दो व तीन में वर्णित है, जिसमें अप्रार्थी संख्या एक के नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि में हिस्सा 1/8 भाग की भूमि पर प्रार्थीया एकमात्र स्वामी के रूप में काबिज काश्त है, से प्रार्थीया को बेदखल करने हेतु अप्रार्थीगण संख्या दो लगायत पांच अपने–अपने पतियों (अप्रार्थी संख्या छः लगायत नौ) के साथ दिनांक 27.01.2022 को शाम के समय असामाजिक तत्वों को साथ लेकर विवादीत कृषि भूमि पर आये व आकर धमकी दी कि वादग्रस्त भूमि के बाबत उपहार पत्र हमने अपने नाम से करवा लिया है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में भी हमारा नाम दर्ज है और हम अब इसको अन्यत्र हस्तान्तरित करेगे, तुम राजीखुशी अपना कब्जा व दखल हटाकर वादग्रस्त भूमि खाली कर हमको सम्भला दो और जोर–जबरदस्ती से तुम्हारी कृषि भूमि पर कब्जा कर लेगे, अप्रार्थीगण संख्या दो लगायत नौ व उनके साथ आये सभी लोग प्रार्थीया को दो–चार दिन में कृषि भूमि खाली करने की ऐलानिया धमकी देकर चले गये और कहने लगे कि अब जब भी मौका मिलेगा हम इस विवादीत कृषि भूमि पर कब्जा करके रहेगे और प्रार्थीया को बेदखल कर देगे, इसके पश्चात प्रार्थीया द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी की एवं उक्त फर्जी, अवैध, बनावटी एवं नुमाईशी उपहार पत्र की नकलें निकलवायी गई तथा जिनकी प्रमाणित प्रतियां प्रार्थीया को प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण संख्या दो लगायत पांच द्वारा किये गये समस्त फर्जीवाडा का ज्ञान हुआ तथा इस कारण प्रार्थीया को वाद वास्ते घोषणा, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं बाद तकासमा सीमाओं का निर्धारण करवाने हेतु वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी हुआ है। वादग्रस्त सम्पति के अलावा खसरा नम्बर 193, 349, 629, 441, 69 (समस्त किस्त गैर मु. चाह) के बाबत अपने हक के लिए वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत करने का प्रार्थीया अपना अधिकार सुरक्षित रखती है। अप्रार्थीगण संख्या दो लगायत नौ अपनी बेजा कार्यवाही कर प्रार्थीया को प्रार्थीया के हक व हिस्से की कृषि भूमि से बेदखल करने में सफल हो जाते है, तो प्रार्थीया को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

राज पंचायत प्रकाशन जयपुर-3

से संभव नही होगी। प्रार्थीया अधिकारी है कि उक्त वर्णित प्रार्थना पत्र की मद संख्या दो व तीन में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात में हिस्सा 1/8 भाग का प्रार्थीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा उसी अनुसार वादग्रस्त भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स् तकासमा किया जाकर प्रार्थीया के हक में आयी भूमि का लगान अलग से तय फरमया जावें एवं प्रार्थीया के हक में आयी भूमि की सीमाओं का विनिश्चय किया जाकर सीमाओं का निर्धारण किया जावें तथा अप्रार्थीगण संख्या एक लगायत अठ्ठारह को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पावन्द फरमाया जावें कि वह उक्त आराजीयात का विक्रय, रहन, बक्शीश या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण किसी दीगर व्यक्ति को न करें, तथा न ही प्रार्थीया के शान्तिपूर्ण उपयोग, उपभोग कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करे, प्रार्थीया को बेदखल करने की कार्यवाही न तो स्वयं करे और न किसी अन्य से करावें तथा अप्रार्थी संख्या उन्नीस राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा अप्रार्थी संख्या वीस को उक्त आराजीयात का विक्रय पत्र या अन्य हस्तान्तरण विलेख दीगर व्यक्ति के नाम तस्दीक नही हेतु पावन्द फरमाया जावें। प्रार्थीया को वादकारण दिनांक 27.01.2022 को तब उत्पन्न हुआ, जब अप्रार्थीगण संख्या दो लगायत नौ ने मौके पर आकर प्रार्थी के हक व कब्जे की कृषि भूमि को नाजायज रूप से हस्तांतरित करने की एवं इस पर कब्जा करने की ऐलानिया धमकी दी तथा तब से वादकारण पैदा होकर निरन्तर जारी है। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में बखुबी साबित है, अप्रार्थीगण संख्या दो लगायत पांच द्वारा वादग्रस्त भूमि में हुए अवैध इन्द्राज का फायदा उठाकर उसे अवैध रूप से विक्रय करने पर तथा वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने पर एवं कब्जा करने का नाजायज प्रयास करने पर प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति कारित होगी, जिसकी भरपाई संभव नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण संख्या एक लगायत 18 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण संख्या एक लगायत अठ्ठारह प्रार्थना पत्र की मद संख्या एक में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 160 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 199 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 331 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 350 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 351 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, कुल किता 05 खसरा नम्बरान का कुल रकबा 1.1100 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं प्रार्थना पत्र की मद संख्या तीन में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 113 रकबा 1.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 158 रकबा 0.5600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 177 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 181 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 200 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 201 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 296/690 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 297/691 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 421 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, कुल किता 10 खसरा नम्बरान का कुल रकबा 2.4400 हैक्टेयर वाके ग्राम रामपुरा उर्फ कंवरपुरा, पटवार क्षेत्र बीलवाकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का विक्रय, रहन, बक्शीश या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण किसी दीगर व्यक्ति को न करे, तथा न ही प्रार्थीया के शान्तिपूर्ण उपयोग, उपभोग कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करे, प्रार्थीया को बेदखन करने की कार्यवाही न तो स्वयं करे और न किसी अन्य से करावें तथा अप्रार्थी संख्या उन्नीस राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अप्रार्थी संख्या बीस को उक्त आराजीयात का विक्रय पत्र या अन्य हस्तान्तरण विलेख दीगर व्यक्ति के नाम तस्दीक नही करने हेतु पाबन्द फरमाया जावे। अप्रार्थीगण रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 19 व 20 का तामिलशुदा नोटिस प्राप्त हुआ तथा अप्रार्थी संख्या 10 व 11 बावजूद तामिल उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 9 की ओर से इस आशय का जवाब पेश किया गया कि प्रार्थीया के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने दादा लादू पुत्र बीजा का सजरा खानदान प्रस्तुत कर अपने आपको सहदायिकी बताया है। प्रार्थीया की उम्र 44 वर्ष है तथा लादू पुत्र बीजा का स्वर्गवास 60 वर्ष पूर्व ही हो चुका था। इस प्रकार से लादू पुत्र बीजा के स्वर्गवास के समय प्रार्थीया का अस्तित्व नही था। इस प्रकार से प्रार्थीया का वादग्रस्त सम्पति में कोई पैतृक हक व हिस्सा कानूनन नही है क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से पूर्व सहदायिकी का निर्माण नही होता है। प्रार्थीया के द्वारा लादू पुत्र बीजा के स्वर्गवास के पश्चात 14.06.1977 को अपने पिता के नामान्तरकरण खुलने व बंटवारा होने का हवाला दिया है तथा अपने पिता के जीवनकाल में यह घोषणा खातेदारी का दावा पेश किया है। इस प्रकार से वर्ष 1977 में प्रार्थीया का जन्म ही नही हुआ था तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वर्ष 2004 से पूर्व ही सम्पति का बंटवारा हो चुका है। इस प्रकार से प्रार्थीया के पिता वादग्रस्त भूमि के एकमात्र मालिक स्वामी काबिज होकर रजिस्टर्ड दान पत्र किया गया है। इस प्रकार से कानूनन प्रार्थीया अपने पिता के जीवनकाल में उनके एकमात्र मालिकाना स्वामित्व की भूमि में हिस्सा प्राप्त करने का कोई अधिकार नही रखती है। प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 10 व 11 के पठन मात्र से ही यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि प्रार्थीया के द्वारा अपने अधिकारों के विरूद्ध उपहार पत्र दिनांकित 07.12.2021 को फर्जी एवं अवैध शुन्य घोषित किये जाने के सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायालय के समक्ष कार्यवाही कर रखी है। इस प्रकार से प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया के द्वारा उपहार पत्र दिनांक 07.12.2021 को चेलेन्ज किया है जो कि एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है। उक्त दस्तावेज को निरस्त करवाये बिना प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। उक्त दस्तावेज को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नही है बल्कि रजिस्टर्ड दस्तावेजों को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय के द्वारा सुनवायी योग्य नही होने से विधि वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र पठन मात्र से यह तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शित है कि प्रार्थीया के द्वारा अपने जन्म से पूर्व हुये नामान्तरकरण को आधार बनाकर दावा पेश किया गया है। अपने जन्म से पूर्व हुये नामान्तरकरण बाबत् प्रार्थीया को कोई विधिक अधिकार उत्पन्न नही होते है और ना ही विधिक रूप से कोई वादकारण उत्पन्न हो सकते है तथा ना ही कोई वादकारण उत्पन्न हुये है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विधि वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीया के उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी भूमि में कोई खातेदारी अधिकार नही होने के कारण व उक्त वर्णित

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

आराजी भूमि प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण प्रार्थीया को कोई वादकारण उत्पन्न नही होने के कारण प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रार्थीया का उक्त उपहार पत्र की भूमि में कोई हक व हिस्सा निहित नही है। अप्रार्थी संख्या 1 को अपनी भूमि उपहार, रहन, गिरवी, बैचान आदि करने का सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीया को अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की आराजी भूमि में कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही होने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त नही होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीया का वादग्रस्त आराजी भूमि के किसी भी हिस्से पर कब्जा काश्त नही होने के कारण अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाने का कानूनन अधिकार प्राप्त नही है क्योंकि विधि का सुस्थापित नियम है कि बिना कब्जे के किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा से किसी व्यक्ति को पाबंद नही किया जा सकता है व एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जा सकता है। प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि चारो तरफ बिखरी हुई है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया ने 1/8 हिस्से पर कब्जा होने का कथन किया है, परन्तु प्रार्थीया के द्वारा कौनसे खसरे पर प्रार्थीया का कब्जा है, यह वर्णन नही किया है तथा ना ही प्रार्थीया के द्वारा कब्जे बाबत् कोई सबूत पेश किया है, जबकि प्रार्थीया कई वर्षो से अपने विवाह के पश्चात से ही अपने ससुराल में निवास कर रही है। प्रार्थीया स्वच्छ हाथों से माननीय न्यायालय के समक्ष नही आई है। कानून का यह सिद्धान्त है कि तुच्छ व परेशान करने वाले दावों को प्रारम्भिक स्टेज पर ही दबा देना चाहिये। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे। दिनांक 24.08.2022 को प्रार्थीया की ओर से आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 कायम मुकाम प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 पेश किया जिसे दिनांक 25.08.2024 को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये गये। दिनांक 17.05.2024 को अप्रार्थी संख्या 12, 14 लगायत 18 की ओर से आदेश 39 नियम 4 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश हुआ जिस पर उभयपक्षों की बहस सुनी जाकर अप्रार्थी संख्या 12, 14 लगायत 18 का प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर अन्तरित आदेश दिनांक 17.02.2022 को अप्रार्थी संख्या 12, 14 लगायत 18 की हद तक निष्प्रभावी किया गया। दिनांक 25.09.2024 को अप्रार्थी संख्या 13 की ओर से आदेश 39 नियम 4 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश हुआ जिस पर उभयपक्षों की बहस सुनी जाकर अप्रार्थी संख्या 13 का प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर अन्तरित आदेश दिनांक 17.02.2022 को अप्रार्थी संख्या 13 की हद तक निष्प्रभावी किया गया। अप्रार्थी संख्या 12 लगायत 18 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किये जाने पर उनके जवाब का अवसर बन्द किया गया तथा प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया।

बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थीया अधिवक्ता एवं अप्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराया गया। उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न तीन बिन्दू विचारणीय है:— (1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा का संतुलन (3) अपूरणीय क्षति

(1) प्रथम दृष्टया मामला

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रार्थीया ने वादग्रस्त भूमि को पैतृक, पुश्तैनी एवं सहदायिकी सम्पति बताते ये अपना 1/8 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का वाद पेश किया है, प्रार्थीया ने विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दीयां पेश की है जिसमे प्रार्थीया के कथनानुसार विवादग्रस्त सम्पति लादू पुत्र बीजा के नाम अंकित ही है, लादू पुत्र बीजा की मृत्यु होने के पश्चात विवादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 29 दिनांक 14.06.1977 को प्रार्थीया के पिता एवं रामेश्वर व पुरूषराम के अंकित हुआ है। इस सन्दर्भ में अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 9 ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थीया की आयु 44 वर्ष है और प्रार्थीया के दादा लादू की मृत्यु 30 वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी, इस तथ्य का खण्डन प्रार्थीया की ओर से नही किया है, इस प्रकार प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के कथनों से साबित है कि जब प्रार्थीया के पिता को प्रार्थीया के दादा लादू से सम्पति प्राप्त हुई तब प्रार्थीया का जन्म नही हुआ, इससे स्पष्ट साबित होता है कि विवादग्रस्त भूमि में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थीया के जन्म से पूर्व कोई सहदायिकी निर्मित नही हुई है। अप्रार्थीगण की ओर से यह आपत्ति उठाई गई कि प्रार्थीया ने अपने पिता के जीवनकाल में उक्त वाद पेश किया है, विधिक सिद्धान्तों के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पिता के जीवनकाल में पुत्र या पुत्री को विरासतन अधिकार प्राप्त नही होते है और पिता के जीवनकाल में प्रदत्त किये जाने का भी कोई प्रावधान नही है। अप्रार्थी संख्या 1 विवादग्रस्त भूमि में रिकार्डेड काश्तकार के रूप में अंकित रहा है जिसने अपने जीवनकाल में पंजीकृत दान पत्र के माध्यम से हस्तान्तरण किया है तथा दान पत्र किसी भी सक्षम न्यायालय से निरस्त नही किया है और दान पत्र के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित होना साबित है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 राजस्व रिकार्ड में विवादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार अंकित है और विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो में यह अवधारणा दी गई है कि एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार कि विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। प्रार्थीया का विवादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा साबित नही है और प्रार्थीया ने कब्जे के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है, इस प्रकार प्रार्थीया प्रथम दृष्टया मामला स्वयं के पक्ष में प्रमाणित करने में असफल रही है। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के विरूद्ध बनना पाया जाता है।

(2) सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति

उक्त दोनों बिन्दूओं का सुविधा की दृष्टि से निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में प्रार्थीया के अधिवक्ता का तर्क रहा कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया की पैतृक, पुश्तैनी एंवं सहदायिकी सम्पति है और प्रार्थीया उक्त विवादग्रस्त भूमि पर अपने हिस्से पर काविज है, यदि उसे विवादग्रस्त भूमि से बेदखल किया गया तो उसे भारी असुविधा व अपूरणीय क्षति कारित होगी। इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 विवादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है और विवादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से पंजीकृत दान पत्र अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 को प्राप्त हुई है जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 काबिज काश्त है, प्रार्थीया का विवादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नही है, यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया गया तो अप्रार्थीगण को अधिक असुविधा व अपूरणीय क्षति कारित होगी। प्रार्थीया व

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

राज पंचायत प्रकाशन जयपुर-3

ों की सूची

प्रार्थीगण के तर्कों एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया प्रथम ष्टया मामला स्वयं के पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त भूमि के कब्जे के सम्बन्ध में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे ाबित होता हो कि विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया के सहदायिकी होना निर्मित साबित ही है एवं विवादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा हो, ऐसा कोई दस्तावेज त्रावली पर मौजूद नही है। अतः ऐसे में उसे किस प्रकार भारी असुविधा व अपूरणीय क्षति होगी, यह प्रार्थीया स्पष्ट नही कर पायी है। इसके विपरित अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में दस्तावेजात पेश किये है जिससे स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एवं उस पर काबिज होना साबित है, यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया तो अप्रार्थीगण को भारी असुविधा व अपूरणीय क्षति होने की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता। अतः उपरोक्त दोनों बिन्दू प्रार्थीया के विरूद्ध विनिश्चित किये जाते है।

उक्त प्रार्थीया प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू अपने पक्ष में साबित करने में असफल रही है, जिससे प्रार्थीया किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम कर मूल वाद के साथ हमफिता हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)